का0आ0सं0:-भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-123/2012...../ दिनांकः-

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

भवन निर्माण विभाग में दिनांक-13.06.2019 को आयोजित Standard Bidding Document से संबंधित बैठक में लिया गया विभागीय निर्णय विभागीय पत्रांक-5971 दिनांक-02.07.2019 द्वारा सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को परिचारित किया गया है। साथ ही इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया गया हैं।

दिनांक-13.06.2019 को आयोजित Standard Bidding Document से संबंधित बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः-

भवन निर्माण विभाग में वर्त्तमान में लागू Standard Bidding Document के आधार पर 2 करोड़ से उपर की योजनाओं की निविदा की जाती है तथा निविदा का मूल्यांकन Standard Bidding Document में निहित प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। प्रचलित Standard Bidding Document वर्ष 2006 से प्रभावी है। SBD की कंडिका-4.5A(b) के अनुसार "Satisfactorily Completed as a prime contractor (or as a nominated subcontractor, where the subcontract involved execution of all main items of work described in the bid document, provided further that all other qualification criteria are satisfied) at least one similar work (Building) of value not less than amount indicated in Appendix (usually not less than 50% (Fifty percent) of estimated value of contract);" उक्त प्रावधान में Appendix to ITB के क्रमांक-19 पर समान प्रकृति के कराये गये कार्य की राशि में निम्नप्रकार के Escalation का प्रावधान है।

"Escalation factors (for the cost of works executed and financial figure to a common base value for works completed)

Year before	Multiply factor
One	1.1
Two	1.21
Three	1.33
Four	1.46
Five	1.61

वर्त्तमान में समान प्रकृति के कार्य की राशि में भवन निर्माण विभाग में कार्यान्वित की जा रही निविदा के निष्पादन के क्रम में मूल्यांकन के समय इस Escalation factor का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे संवेदक द्वारा SBD में निहित सारे प्रावधानों को पूर्ण करने के बावजूद समान प्रकृति की मांगी गयी अर्हता राशि में थोड़ी बहुत कमी होने के कारण तकनीकी बीड में अयोग्य घोषित कर दिये जाते है। इससे निविदा में सहभागिता की कमी होती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि समान प्रकृति के कार्य में Appendix to ITB के क्रमांक-19 के अनुसार प्रावधानित Escalation Factor लगाकर निविदा का मूल्यांकन किया जाय। उदाहरण स्वरूप किसी संवेदक X के द्वारा SBD की कंडिका-4.5A(b) के अनुसार मांगी गयी समान प्रकृति कार्य की राशि ₹5.00 करोड़ रूपये है तथा यह कार्य उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह मई में समाप्त की गयी है। उक्त स्थिति में अगर निविदा आमंत्रित की तिथि जून, 2019 है तो Escalation की गणना निम्नप्रकार से की जायेगी।

कार्य समाप्ति का माह	- मई, 2017
कार्य की राशि	- ₹5.00 करोड़
निविदा आमंत्रण की तिथि	- जून, 2019
दो वर्षो के लिए Escalation Factor	- 1.21
मूल्यांकन हेतु समान प्रकृति कार्य की राशि	= 1.21 x 5.0 = 6.05 करोड़

दिनांक-13.06.2019 को आयोजित Standard Bidding Document से संबंधित बैठक में लिये गये उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-123/2012.....7291(भ)/ पटना, दिनांकः- 8-8-19

प्रतिलिपिः-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/8/2019
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।